ग्राम पंचायत तरस्वाण, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत तरस्वाण, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती हिमा देवी	01.04.13 से 22.1.16
2	श्रीमती सुरेन्द्रा देवी	23.01.16 से 31.03.16

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री साजू राम	01.04.13 से 16.02.15
2	श्री शेर सिंह	17.02.15 से 19.8.15
3	श्री मक्खन लाल	20.08.15 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत तरस्वाण के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.22
2	8	अनुदान राशि का उपयोग न करना	10.29
3	9	प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय करना	0.47
4	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	2.83

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत तरस्वाण, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 28.06.2016 से 02.07.2016 तक उक्त ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 08/13, 07/14, 03/16 एवं 03/14, 06/14, 09/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के गलत/अपूर्ण एवं उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत तरस्वाण, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 100/2016 दिनांक 02.07.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत तरस्वाण से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) ग्राम पंचायत तरस्वाण द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विस्तारपूर्वक वर्णन इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–1 व 2** में दिया गया है।

(ख) बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तिम शेष में ₹81951.05 का भारी अन्तरः–

ग्राम पंचायत तरस्वाण की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही एवं बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) एवं 10 (1) के अनुसार रोकड बहियों का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य

था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.2016 को निम्नानुसार अन्तर पाया गयाः–

निधि का नाम	रोकड़ बही का अन्तिम शेष	बैंक में जमा राशि	अन्तर
स्व स्त्रोत/विविध अनुदान	1613927.09	1695878.14	81951.05

अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये भविष्य में पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान करना सुनिश्चित किया जाए।

5 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखनाः–

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "3"** में दिये गये विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 की धारा 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए एवं कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

6 बजट प्राकलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राकलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राकलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राकलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राकलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

7 पंचायत राजस्व ₹0.22 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेंख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.16 को पंचायत के राजस्व ₹21480/–की वसूली हेतु शेष थीः–

गृहकरः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	13080	9900	22980	11200	11780
2014–15	11780	9920	21700	1360	20340
2015–16	20340	9960	30300	8820	21480

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

8 अनुदान ₹10.29 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–4** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹1028783 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा विहित अवधि के दौरान अनुदान राशि को व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9 प्राप्त अनुदान से ₹0.47 लाख का अधिक व्यय करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट–4"** के अनुसार पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2016 को ₹47178/– का व्यय प्राप्त अनुदानों से अधिक कर दिया गया था, जबकि प्राप्त अनुदानो के स्वीकृति पत्रों/नियमों के अनुसार अनुदान की राशि से व्यय प्राप्त अनुदान तक सीमित किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार प्राप्त अनुदान से अधिक राशि का व्यय ग्राम पंचायत द्वारा किस निधि से किया गया है, के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुये अधिक व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित संस्था से उठाया जाए एवं इस राशि की प्रतिपूर्ति न होने की अवस्था में इसकी वसूली सम्बन्धित व्यक्तियों से करने उपरान्त जमा करवाई जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाए।

10 निर्माण कार्यों के प्राकलन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/– व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से

सम्बन्धित व्यय वाचउरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में लाखों रूपये का व्यय विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर किया गया है, किन्तु इन कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन से सम्बन्धित अभिलेख जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि यह सभी निर्माण कार्य प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति उपरान्त एवं नियमानुसार प्राकलन तैयार करने उपरान्त किये गये हैं अथवा नहीं? अतः इन समस्त निर्माण कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ताकि उनकी तदानुसार जाँच की जा सके।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹2.83 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67, 69 एवं 70 में पंचायत द्वारा स्टॉक स्टोर को क्रय, प्राप्ति एवं उसके निर्गम से सम्बन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। ग्राम पंचायत के चयनित मासों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **"परिशिष्ट–5"** में दिये गये विवरण अनुसार पंचायत द्वारा ₹283075 के स्टॉक/स्टोर का क्रय/ढुलान आदि हेतु भुगतान किया गया था, किन्तु इस सम्बन्ध में पंचायत द्वारा उपरोक्त नियमों अर्थात बिना निविदाऐं आमन्त्रित किए ही व सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पूर्ण अवहेलना की गई थी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय व अन्य ढुलान आदि के व्यय हेतु नियमानुसार अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का पालन न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए एवं भविष्य में नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

(ख) पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाये गये अभिलेख की जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट–5** के क्रम संख्या 25 से 34 द्वारा 600 cft रेत के ढुलान हेतु श्री चमारू राम को ₹42000/–का भुगतान किया गया है जोकि निर्माण कार्य 66 FRW मठी बजगैण हेतु क्रय की गई थी। अतः 200 cft रेत के क्रय के विरूद्ध 600 cft रेत ढुलान हेतु भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक है। अतः 400 cft अधिक ढुलान हेतु किये गये/दर्शाये गये भुगतान ₹28000/– की वसूली सम्बन्धित से करने उपरान्त पंचायत निधि में जमा करवाई जाए एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाए।

(ग) अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख की जाँच में यह भी पाया गया कि पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट–5"** द्वारा क्रय सामान/ढुलान की न तो स्टॉक प्रविष्टियाँ की गई थी एवं न ही

उनके आगामी निपटारे/उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव किया गया था, जिसके अभाव में उक्त क्रय के भुगतानों को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः इन क्रय की गई समस्त सामग्री के आगामी निपटारे से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

12 ग्राम पंचायत द्वारा मजदूरों को किये गये भुगतान ₹3.61 लाख के कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख की जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान मनरेगा के अन्तर्गत ₹360720/–का भुगतान निम्नविवरणानुसार मजदूरी के रूप में किया गया है। किन्तु पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा मजदूरों को किये गये इस भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में मजदूरों द्वारा किये गये कार्य की प्रगति एवं वास्तव में मजदूरों को किये गये कार्य हेतु इतनी मजदूरी देय थी अथवा नहीं की जाँच वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः इन भुगतान वाउचरों द्वारा किये गये भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित की जाए ताकि किये गये भुगतान की तदानुसार जाँच की जा सके।

क्र0सं0	वा0 क्रमांक	दिनांक	कार्य का नाम	मस्ट्रोल क्रमांक	दिनांक/अवधि	राशि (₹)
1	160	04.3.14	FPW तरस्वाण खडड	8940, 8941	06.02.14 से 19.02.14	12420
2	178	11.3.14	FPW मढी बजगैण	8680	01.02.14 से 14.02.14	4256
3	184	22.3.14	FPW धरमेहड़ नाला	9835	15.02.14 से 28.02.14	6210
4	185	22.3.14	–यथोपरि–	9842	15.02.14 से 28.02.14	2736
5	187	22.3.14	FPW गढ़गाँव	9833, 9834	15.02.14 से 28.02.14	20976
6	188	22.3.14	निर्माण पुली दिनकुट	9841	15.02.14 से 28.02.14	8694
7	189	22.3.14	FPW मढी बजगैण	9876, 9877	20.02.14 से 05.03.14	22494
8	190	22.3.14	–यथोपरि–	9880	20.2.14 से 05.03.14	3648
9	193	22.3.14	पक्का रास्ता बेटली से ढगवाणधार	9840	15.2.14 से 28.2.14	7590
10	198	28.3.14	FPW गढ़गाँव	10461, 10462, 10463	01.03.14 से 14.03.14	41538
11	202	29.3.14	FPW मढी बजगैण	10529	06.03.14 से	4256

					19.03.14	
12	204	29.3.14	FPW गढ़गाँव	10528	01.03.14 से	3648
					14.03.14	
13	205	30.3.14	–यथोपरि–	9843	15.02.14 से	3952
					28.2.14	
14	65	10.6.14	FPW धरमेहड़ नाला	1026 से	18.05.14 से	85932
				1030	31.05.14	
15	66	10.6.14	पक्का रास्ता मढी	1021 से	18.05.14 से	67084
			बजगैण	1025	31.05.14	
16	72	26.09.15	पक्का रास्ता बड़ी	3451 से	01.09.15 से	65286
			बलंग	3456	14.09.15	
					योग	**360720**

13 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों/अभिलेखों का पूर्ण रूपेण रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस बारे स्पष्टीकरण देते हुये नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 विविधः–

(क) ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2013–14 में मनरेगा निधि (मद) के अन्तर्गत वाउचर संख्या 181 दिनांक 21.03.2014 द्वारा मै0 दुनी चन्द एण्ड सन्स, जोगिन्द्रनगर से उनके बिल संख्या 25065 दिनांक 21.03.14 द्वारा ₹33047/– के सरिये आदि की खरीद की गई है, किन्तु इस क्रय के आगामी निपटारे एवं स्टॉक प्रविष्टि से सम्बन्धित अभिलेख वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में उक्त क्रय को प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। अतः इससे सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

(ख) पंचायत द्वारा दिनांक 04.04.2014 को चैक संख्या 4345966 द्वारा ₹5500/–सहकारी बैंक, बरोट से आहरित की गई थी एवं इसके विरूद्ध ₹5455/–का भुगतान (1680+3775) दर्शाया गया है लेकिन शेष ₹45 का न तो रोकड़ बही में हस्तगत राशि के रूप में दर्शाया गया है न ही इसे बैंक में जमा करवाया गया है। अतः इस राशि का सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा दुर्विनियोजन कर लिया गया है, जिसकी वसूली सम्बन्धित सम्बन्धित कर्मचारी से करने उपरान्त जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

17 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में अत्यन्त सुधार की आवश्यकता के अतिरिक्त रोकड़ बहियों में गणना की गल्तियों में सुधार हेतु उचित पग उठाये जाने अपेक्षित है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(11) 3/2016–खण्ड–1–039–042 दिनाँकः 03.01.2017
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत तरस्वाण, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.